न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/204

1. रामपाल आत्मज रामनारायण आयु 65 वर्ष जाति निवासी ग्राम खजूरी तहसील नैन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   1/1. नटी बाई पत्नी स्व0 रामपाल आयु 60 वर्ष जाति मीणा ।
   1/2. मीठालाल आत्मज स्व0 रामपाल आयु 44 वर्ष जाति मीणा ।
   1/3. हनुमान आत्मज स्व0 रामपाल आुय 40 वर्ष जाति मीणा निवासीगण ग्राम खजू तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/4. समोदरा पुत्री स्व0 रामपाल पत्नी मुकेश आयु 35 वर्ष जाति मीणा हाल निवा खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक ।

——अपीलान

बनाम

1. सियाराम आत्मज जगन्नाथ आयु 52 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. श्रीमती अन्चया बाई पत्नी सियाराम आयु 50 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्रीमती मनचेता बाई पत्नी देशराज आयु 27 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. जगन्नाथी पत्नी स्व0 जगन्नाथ आयु 77 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. अनोख पुत्री जगन्नाथ पत्नी मोजीराम आयु 54 वर्ष जाति मीणा निवासी बराणा तहसील अलीगढ जिला टोंक ।
6. कौशल्या पुत्री जगन्नाथ पत्नी रामसहाय आयु 42 वर्ष जाति मीणा निवासी खातौली तहसील उनियारा जिला टोंक ।
7. मौसमी पुत्री जगन्नाथ पत्नी राधेश्याम आुय 39 वर्ष जाति मीणा निवासी मुई तहसील व जिला सवाईमाधोपुर ।
8. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री एम0एम0 केसरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 7 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 28.12.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 12.08.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खजूरी तहसील नैनवा जिला बून्दी में कुल 11 किता की रकबा 67 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । ग्राम खजूरी में ही खसरा नम्बर 260 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमियों प्रार्थी व उसके भाई जगन्नाथ व कल्याण के संयुक्त खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की थी । तीनों भाईयों का इसमें बराबर–बराबर हिस्सा अर्थात् प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा था । चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में से कल्याण ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी को अप्रार्थी कम 2 व 3 को अपने जीवनकाल में ही विक्रय कर दिया था तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में स्थित अपने 1/3 हिस्से को अप्रार्थी संख्या 02 को विक्रय कर दिया । प्रार्थी और उसके मृतक भाईयों के मध्य अपने पिता के जीवनकाल में ही पारिवारिक सहमति और आपसी मौखिक समझौते से करीब 45 वर्ष पूर्व ही हो गया था उसी अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं । अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 7 प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित व उसके हिस्से में आयी हुई उक्त भूमियों पर से जबरन बेदखल कर स्वं कब्जा करना चाहते हैं तथा प्रार्थी को खेती करने में रूकावट पैदा करना चाहते हैं । इसके अतिरिक्त अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 प्रार्थी के हिस्से में आयी हुई भूमि खसरा नम्बर 308 व खसरा नम्बर 261 में से उत्तरी आरे की 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान करने व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 308 रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा पर से अथवा उसके किसी भी भाग पर से तथा खसरा नम्बर 261 में से उत्तरी ओर की 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे, प्रार्थी के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी अन्य प्रतिनिधि से करावे तथा खसरा नम्बर 308 व खसरा नम्बर 261 में से उत्तरी ओर की 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि व विशेष खसरा नम्बर का बेचान व अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.08.2022 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2022 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में मौखिक बंटवारा अपीलान्ट के पिता रामनारायण जी के जीवनकाल में तीनों भाईयों के बीच मौखिक समझौते के तहत मौखिक रूप से आपसी सहमति से हो गया था । इसी विभाजन के अनुसार तीनो भाई अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त हैं । अपीलान्ट के हिस्से में 23 बीघा 06 बिस्वा भूमि आई थी तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया था कि जगन्नाथ व कल्याण ने उनका हिस्सा विक्रय कर दिया है तथा अपीलान्ट अपने कब्जे काश्त की भूमि पर लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के हिस्से की भूमियों का अपने–आपको मालिक बताकर अन्य व्यक्यिों को बेचान व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है तथा उसके द्वारा अपनी भूमि को अलग करने की कहने पर भूमियों को खुर्द–बुर्द व बेचान करने पर आमादा है । अपीलान्ट द्वारा विभाजन वाद प्रस्तुत कर अपने कब्जे काश्त की भूमि के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई थी तथा रेस्पोडेन्ट को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमियों को अपना बताकर खुर्द–बुर्द व बेचान करे । जबकि चारों अपीलान्ट अपने पिता के 1/3 हिस्से पर बराबर–बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अप्रार्थीगण को अपीलान्ट के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी को बेचान व खुर्द–बुर्द करने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 12.08.2022 निरस्त फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अपीलान्ट के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 308 की सम्पूर्ण रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 261 की रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा भूमि में से उत्तर की ओर से 06 बीघा 05 बिस्वा कुल 23 बीघा 06 बिस्वा भूमि को खुर्द–बुर्द व बेचान नहीं करने तथा अपीलान्ट के कब्जे काश्त व आराजी के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2016 पेज 32 उद्धृत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा प्रत्येक इंच भूमि पर माना जाता है। रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड सहखातेदार हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.08.2022 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात में फोटो प्रति नकल नक्शा ग्राम कंवरपुरा, फोटो प्रति नक्शा आंशिक ग्राम कंवरपुरा, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम खजूरी की नया खाता संख्या 346 में कुल 11 किता की रकबा 67 बीघा 08 बिस्वा भूमि पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम खजूरी की नया खाता संख्या 344 में खसरा नम्बर 260 की रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा भूमि सियाराम पि0 जगन्नाथ, जगन्नाथी बेवा जगन्नाथ, अनोख, कौशल्या, मौसमी पुत्रियॉ जगन्नाथ हिस्सा 1/3 व कल्याण, रामपाल पि0 रामनारायण हिस्सा 2/3 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं । फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस एवं फोटो प्रति बिजली का बिल की संलग्न हैं ।

10. प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर साबित है कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमियॉ हैं । जहॉ तक पूर्व में ही मौखिक बंटवारे का प्रश्न है तो यह सब बिन्दु मूल वाद के निस्तारण के समय ही तय होंगे । संयुक्त सहखातेदार सम्मिलित कृषि भूमि में किसी विशिष्ट खसरा नम्बर एवं विशिष्ट भूमि का विक्रय नहीं कर सकते । चूँकि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है जिस पर कोई भी विशिष्ट खसरा नम्बर अथवा विशिष्ट भूमि किसी एक खातेदार की सिद्धांततः नही मानी जाती । संयुक्त सहखातेदारी की भूमि पर सभी सहखातेदारों के हक, स्वत्व समान रूप से निहित माने जाते हैं, ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.08.2022 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा